


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><b>गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर)</b><br>सू.अ.अपील संख्या <b>14/2023</b>   | न. व तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुकम की<br>तामील में<br>जारी हुए |
|------------|---|---|
| 06.02.23   | <p>           अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कलां, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 में उसके द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद 12200789137184 के प्रकरण द्वितीय स्तरीय अधिकारी के रूप में उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर द्वारा जिस सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा थानाधिकारी, बनाड़ को प्रेषित की गई), उस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।         </p> <p>           अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।         </p> <p>           हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।         </p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (हिमान्यु गुप्ता)<br/>           जिला कलक्टर जोधपुर<br/> <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</b> </p> |   |